



PM/VI/2011-12/GO/

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),  
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),  
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

To

The Director of Treasuries and Accounts  
Insurance Building Complex  
Tilak Road Abids  
Hyderabad

दिनांक / Date :

Sir,

Sub:- Forwarding of Judicial officers pay commission – regarding.

Ref:- 1.Accountant General (A&E) Uttarakhand SSA No.PA/Pen-Uttarakhand/Relief/2011-12/1090 dt.18.08.2011

2. Government of Uttarakhand Law Department No.18/xxxvi(2)/2010-180/10 dt.11.01.2011

\*\*\*

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) , Uttarakhand in the reference cited. The same is being placed in this office official website ([www.ag.ap.nic.in](http://www.ag.ap.nic.in)). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

  
Sr Accounts Officer

Copy To  
Joint Director, Pension Payment Office,  
Jambagh M J Road,  
Nampally,  
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

पंजीकृत


# कार्यालय महालेखाकार (लें एवं हक्को), उत्तराखण्ड,

## ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून

पत्रांक: पीए/पेंशन/उत्तराखण्ड/राहत/ 2011-12/1090

दिनांक: 18-08.2011

(विशेष मुद्रा प्राधिकार के अन्तर्गत)



सेवा में

महालेखाकार (लेखा एवं हक्को)

मार्यादा प्रदान करना चाहिए

विषय: न्यायिक अधिकारियों को सेवा निवृत्त लाभों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश सं 18/XXXVI (2)/2010-180/10 दिनांक 11 जनवरी 2011 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इन्हें अपने राज्य के सभी कांपागारों को भिजवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि आपके राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे उत्तराखण्ड के न्यायिक अधिकारियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

भवदीय,

Mahalendra

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन  
25/08/11

उत्तराखण्ड शासन  
न्याय अनुभाग-2  
संख्या- 18 /xxxvi(2)/2010-180/10  
देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2011

कार्यालय-ज्ञाप

न्यायिक अधिकारियों को सेवानिवृत्तिक लागों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों से रामबद्ध रिट पिटीशन संख्या- 1022/1989 आल इपिडया जजेज एसोसियेशन व अन्य प्रति भारत राष्ट्र व अन्य से साबद्ध आइ000 संख्या- 244/09 में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28-4-2010 द्वारा गठित न्यायमूर्ति ई0 पदमनाभन की संस्तुतियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-7-2010 एवं दिनांक 26-7-2010 तथा दिनांक 2-8-2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2 न्यायमूर्ति ई0 पदमनाभन समिति की रिपोर्ट दिनांक 17-7-2009 में सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को निम्नलिखित रूप में अथावत रखीकार करने की श्री राज्यपाल भवोदय राहपे रहीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्ति हुई है :-

(1) दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों की पेशन के राष्ट्रीय में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों पर पदमनाभन रामिति द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाए प्रदान की जाती हैं--

- (i) सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी को पुनरीक्षित पेशन सम्बन्ध-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के रामबद्ध धारियों पर के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- (ii) अधिकतम पेशन वी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- (iii) सेवारत न्यायिक अधिकारियों वी भाति पेशन मायिया को Benefit of full neutralization of the cost of living अनुमति होगा।
- (iv) दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवानिवृत्ति अधिकारियों के द्वारा घरेलू रोक का सेवायोजन यित्ये जाने के प्रमाण पत्र के प्रत्युतिकरण पर रूपया 2500/- प्रति नाह की दर से घरेलू नौकर भला देय होगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक प्रश्नरो को भी ₹0 1000/- प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भला प्रदान किया जायेगा। उक्त बद्दी हुई दर तात्कालिक प्रभाव से देय होगी।

- (v) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से रुपया 1500/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जायेगा। पारिवारिक पेंशनरों को भी तात्कालिक प्रभाव से ₹0 750/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता देय होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शारनादेश की शर्त यथावत लागू रहेगी।
- (vi) दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों /पारिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी:-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आय	अतिरिक्त पेंशन की मात्रा
90 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(x) न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त/मृत हुए हैं:-

- (1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की पुनरीक्षित पेंशन साथ-साथ पर पुनरीक्षित वेतनमानों में उसके द्वारा सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के वेतनमान के न्यूनतम के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
- (i) अधिकतम पेंशन की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
  - (ii) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की भाँति पेंशन भोगियों को (Benefit of full neutralization of the cost of living) अनुदाय होगा।

(2) पेंशन :-

ऐसे न्यायिक अधिकारी जो दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्ति/मृत हुए हों को पूर्ण पेंशन हेतु अहवारी सेवा 20 वर्ष मानी जायेगी।

(3) पेंशन का राशिकरण:-

दिनांक 1-1-2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों की पेंशन का राशि का राशिकरण पूर्व की भाँति 50 प्रतिशत की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

(4) ग्रेचुटी/संघ कम रिटायरमेन्ट ग्रेचुटी:-

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेचुटी का भुगतान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही किया जायेगा जो रु० दस लाख से अधिक नहीं होगा।

(5) अवकाश नकटीकरण :-

दिनांक 1-1-2006 या उसके पश्चात सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों को अवकाश नकटीकरण की सुविधा पूर्व में जारी शासनादेशों में निर्धारित ही नायी व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(6) पारिवारिक पेंशन :-

सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों को समय-समय पर प्रदत्त पुनराक्षित वेतनमानों के आधार पर पारिवारिक पेंशन 30 प्रतिशत की दर से रखीकृत की जायेगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के तदिधियक नियमों/शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार ही पारिवारिक पेंशन निर्धारित की जायेगी।

(7) पेंशन की धनराशि :-

दिनांक 1-1-2006 या उसके बाद सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारियों एवं परिवारिक पेंशनरों को निम्न विवरण के अनुसार यदी हुई दर से अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किया जायेगा।

पेशनर / पारिवारिक पेशनर की आयु	अतिरिक्त पेशन की मात्रा
80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष तक	पेशन / पारिवारिक पेशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पेशन / पारिवारिक पेशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पेशन / पारिवारिक पेशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पेशन / पारिवारिक पेशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या अधिक	पेशन / पारिवारिक पेशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

(8) घरेलू नौकर भत्ता :-

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को ₹० 2500/- प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। इसके राथ ही पारिवारिक पेशनरों को भी उक्त सुविधा ₹० 1000/-प्रतिमाह की दर से घरेलू नौकर भत्ता स्वीकृत किया जायेगा। यह सुविधा तत्कालिक प्रभाव से देय होगी।

(9) चिकित्सा भत्ता :-

सेवानिवृत्त पेशनरों को ₹० 1500/- प्रतिमाह तथा पारिवारिक पेशनरों को ₹० 750/- प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता अनुगम्य होगा। शेष चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ चिकित्सा अनुभाग-३ के शासनादेश के अनुसार अनुगम्य होगा। सकू भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3— इस शासनादेश में वर्णित घरेलू नौकर भत्ता, चिकित्सा भत्ता तत्कालिक प्रभाव से देय होगे। मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 19-7-2010 के अनुपालन में 60 प्रतिशत पेशन एरियर का भुगतान तीन माह के भीतर एवं शेष 40 प्रतिशत एरियर का भुगतान आगामी 09 माह के भीतर दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मात्र उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 2-8-2010 के अनुपालन में एरियर सहित उक्त समरत भुगतान को दिनांक 31-3-2011 तक कर दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4-- यह आदेश वित्त अनुभाग-7 के अशासकीय संख्या-- 4538 / xxvii(7)/2011 दिनांक  
4--1-2011 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या- 18 (1) / xxxvi(2)/2011 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1--सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
- 2--प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- 3--महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 4--प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून।
- 6--समस्त जिला न्यायाधीश / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7--निदेशाक कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8--निदेशक, पेशान निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 9--सूचना निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 10--समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 11--वित्त अनुभाग-7
- 12--इरला चैक अनुभाग / उत्तराखण्ड, सचिवालय, देहरादून।
- 13--सुश्री रचना श्रीवास्तव, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 14--गार्ड फाईल।

अप्लॉइट। प्रतिलिपि तथा लिपिक को  
सूचनार्थ प्रेषित की जाय।

*E.S.M.*  
प्रोजेक्ट न्यायालय  
24-01-2010

आज्ञा सं० १०  
प्रमुख सचिव  
(राम सिंह)  
प्रमुख सचिव